

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

श्रीमति किती सिंह

वर्ष २०१७

वर्तमान वेतन

13360/-

वर्तमान धारित पद

महाराजा (पुस्त)

20118/-

अगली वेतनवृद्धि की तरीख

जुलाई 2013

उस जिले, उप संभाग, तातुका
तथा ग्राम का नाम, जिसमें
संपत्ति स्थित हो

संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे

गृह तथा अन्य भवन

भूमि

**वर्तमान मूल्य

यदि स्वयं के नाम पर न हो तो
बतलाइये कि वह किसके नाम
पर धारित है और उसका
शासकीय कर्मचारी से
क्या संबंध है

उसे किस प्रकार अर्जित किया गया

***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत,
भेट या अन्य किसी प्रकार से
तथा अर्जन की तरीख और जिससे
अर्जित की गई हो उसका नाम
तथा ब्यौरा

संपत्ति से
वार्षिक आय

अभियुक्त

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

निर्दु

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विश्वित के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चारह महीने की अवधि के पश्चात् यह धोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्मत अचल प्राप्ति के

इस्ताशर

Kurti Singh

नाम

किती सिंह

पद

महाराजा (पुस्त)